न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 359/2026
फौजदारी वाद संख्या–282/2026
राज्य बनाम सौरभ वत्स आदि

प्रार्थी/अभियुक्त–प्रकाश चन्द उपाध्याय आयु 62 वर्ष पुत्र श्री भास्कर आनन्द उपाध्याय, निवासी–कलिंगा विहार, लेन नंबर–4, माजरी माफी, आई0आई0पी0, देहरादून।

मु0अ0सं0 479/2023
अंतर्गत धारा 120बी, 420 भारतीय दण्ड संहिता, 2023
थाना कोतवाली, देहरादून।

अभियुक्त की ओर से : श्री देवान्शु वालिया एडवोकेट।
राज्य की ओर से : श्री अनूप सिंह, विद्वान अभियोजन अधिकारी।

दिनांक 02.04.2026

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकाश चन्द उपाध्याय की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता एक जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–479/2023, अन्तर्गत धारा 120बी, 420 भारतीय दण्ड संहिता प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षिप्त में अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त अपराध जमानतीय है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अभियुक्त प्रकाश चन्द्र उपाध्याय थाना कोतवाली की मु0अ0सं0–479/2023, अन्तर्गत धारा 120बी, 420 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध गंभीर प्रकृति का व अजमानतीय है। अतः जमानत का घोर विरोध किया जाता है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के कथनानुसार अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को सरकारी टैण्डर दिलवाने के नाम पर मुब0 55 लाख रूपये प्राप्त किये गये व वादी द्वारा

उक्त धनराशि वापस मांगने पर टालमटोल कर धोखाधडी से उक्त धनराशि को हडप लिये जाने का कथित अभियोग है। इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से कथन किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया है। उक्त अपराध में पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया जा चुका है।

6. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्ति किये बिना प्रथम दृष्टया प्रार्थी/अभियुक्त को दौराने वाद जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है। तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

7. **अभियुक्त प्रकाश चन्द उपाध्याय** का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–120बी, 420 भारतीय दण्ड संहिता स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा रु0 30,000/–(तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम व विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, दौराने वाद, जमानत पर रिहा किया जाता है।

(रिंकी साहनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।